फर्द अहकाम

(नियम 25)

न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी कैम्प ग्रामीण सेवा शिविर–2025
रमजान खां बनाम तहसीलदार बापिणी

मुकदमा 136 एल.आर.एल. एक्ट

नम्बर :– 2025/136

तारीख	हुक्म या कार्यवाही	वि.वि.
	प्रार्थी रमजान खां पुत्र करीम खां जाट निवासी बेदु कलां आज ग्रामीण सेवा शिविर अभियान–2025 कैम्प मतोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बेदु कलां के खाता संख्या 287, 302 रकबा 1.1007 एवं 9.4696 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम रमजान पुत्र करीम खां एवं रिमजु खां पुत्र करीम खां दर्ज है जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम रमजान खां पुत्र करीम खां है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी द्वारा परिवार आधार कार्ड नम्बर 7077 3627 8321 एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम रमजान खां पुत्र करीम खां दर्ज है जो शुद्ध है। इस संबंध में हल्का पटवारी निम्बों का तालाख भू.अ.नि. मतोड़ा एवं तहसीलदार बापिणी से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट में इन्होनें प्रार्थी का रमजान खां पुत्र करीम खां शुद्ध करने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बेदु कलां के खाता संख्या 287 एवं 302 में प्रार्थी का नाम रमजान पुत्र करीम खां एवं रिमजु खां पुत्र करीम खा के स्थान पर नाम रमजान खां पुत्र करीम खां राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	